पत्रांक– 3190 / आयु0कर,उत्तराखण्ड / धारा–57 अनु0 / वाणि0कर / 2016–17 / दे0दून

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 20, अगस्त, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या	–	03 / 2016–17
द्वारा	–	सर्वश्री श्री मंगलम् ट्रेडर्स, 12 दर्शनी गेट, निकट नवीन वैजीटेरियन, देहरादून। टिन नं0– 05051376057
उपस्थिति	–	श्री नवीन जैन, स्वामी फर्म
निर्णय का दिनांक	–	19.08.2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री श्री मंगलम् ट्रेडर्स, 12 दर्शनी गेट, निकट नवीन वैजीटेरियन, देहरादून द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें गुब्बारे पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा जो मा0 न्यायालयों के निर्णय सन्दर्भित किये गये हैं वह लगभग 30 वर्ष पुराने हैं तथा वर्तमान में गुब्बारे का प्रयोग मुख्यतः सजावट के रूप में किया जाता है न कि खिलौने के रूप में। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौनों का युग है जिसमें गुब्बारे के खिलौनों का प्रयोग न के बराबर करके इलैक्ट्रॉनिक्स व अन्य खिलौनों, गेम्स आदि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार प्रेषित आख्या में गुब्बारे को सजावट सामग्री मानते हुए उस पर अवर्गीकृत की भांति 13.5% की दर से करदेयता होने का उल्लेख किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में श्री नवीन जैन, स्वामी फर्म ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि गुब्बारा (Toy) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(B) के क्रमांक 106 व 114 से आच्छादित होता है। प्रार्थी द्वारा सुनवाई के समय गुब्बारे के Toy होने के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय उद्धृत किये गये हैं :–

Gubbaras (balloons) are toys in the common commercial parlance and cannot be treated as rubber goods [CST Vs. Kashi Nath Arora (1985 UPTC 374)]

Primarily balloons are used as toys by the children, sometimes they are also used for other purposes like decoration. The dominant purpose of the balloons being used as toys, the balloons are entitled to come under the purview of entry related to toys. [Kundanmal Ganeshmal & Bros Vs. State Karnataka (1995) 96 STC 149 (Kar)]

क्रमशः पेज –2

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सुनवाई के समय दिये गये तर्कों एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून द्वारा प्रेषित आख्या पर विचार किया गया। गुब्बारे पर कर की दर निर्धारित किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(B) के क्रमांक 114 पर निहित प्रविष्टि अवलोकनीय है जो कि निम्न प्रकार है:–

"Toys excluding electronic toys"

उपरोक्त प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रविष्टि से गुब्बारे को exclude नहीं किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा गुब्बारे के Toy होने के सम्बन्ध में जो निर्णय अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये हैं वह भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। वर्तमान में भी गुब्बारे का सामान्य उपयोग बच्चों द्वारा हवा, गैस अथवा पानी भरकर खेलने हेतु ही किया जाता है। उक्त के सजावट हेतु आकस्मिक उपयोग के आधार पर गुब्बारे पर अवर्गीकृत की भांति करदेयता निर्धारित नहीं की जा सकती है। मा0 इलाहबाद उच्च न्यायालय तथा मा0 कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी गुब्बारे के व्यवसायिक भाग में भी Toy समझे जाने सम्बन्धी मत प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार गुब्बारे का उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–4(2)(b)(i)(b) के अन्तर्गत प्रावधानित अनुसूची II(B) के क्रमांक 114 पर निहित प्रविष्टि "Toys excluding electronic toys" से आच्छादित होना प्रकाश में आता है, अतः उक्त पर कर की दर 5% होना अवधारित किया जाता है।

तद्नुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 3190. / व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0 / प्र0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / रूड़की / रूद्रपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।

6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं **web Information Officer** को विभागीय **website** पर **Update** करने हेतु।

7– असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड–2, देहरादून।

8– नेशनल लॉ हॉउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हॉउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।

11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।